

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I)
MADHYA PRADESH. GWALIOR

दिनांक:10-10-2024

कार्यालय आदेश/Office Order – 143

कार्यालय आदेश क्रमांक 09 दिनांक 12-04-2024 के अनुसार निम्नलिखित अधिकारी को परिवर्धित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्राप्त होने के फलस्वरूप उनका वेतन निर्धारण उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि एवं वेतन लेवल में उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर निम्नानुसार किया जाता है-

In accordance with Office Order क्रमांक 09 दिनांक 12-04-2024, pay of the following officer, who has been granted financial up-gradation under Modified Assured Career Progression Scheme, is fixed as on the date and in the Pay Level, mentioned against his name on the basis of option submitted by him as under-

क्र.	नाम पदनाम एवं स्थायी क्रमांक	घटना	दिनांक	वेतन लेवल	वेतन	नियम
1.	श्री सुनील कुमार झा	वार्षिक वेतन वृद्धि	01-01-2024	लेवल-10	₹ 95,500	MACP के पैरा 4 एवं के.सि. सेवा (पु.वे.)
	Shri Sunil Kumar Jha व.ले.प.अ. (01/6828)	Granted 2nd MACP and opted pay fixation from DNI	26-03-2024	लेवल-11	₹ 96,600	नियम, 2016 के नियम 10 एवं 13 सहपठित डीओपीटी के कार्या. ज्ञापन दिनांक 27.07.2017 के पैरा
		वार्षिक वेतन वृद्धि	01-01-2025		₹ 1,02,500 <u>DNI- 01-07-2025</u>	3 एवं वित्त मंत्रालय के कार्या. ज्ञापन दिनांक 28.11.2019 के पैरा 6 के अनुसार

(वरिष्ठ उप-महालेखाकार/प्रशासन के आदेश से जारी)

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-12
(पेंशन एवं वेतन निर्धारण सेल)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उपनिदेशक/लेखापरीक्षा वित्त एवं संचार, एनेक्सी, संचार भवन, बी.एस.एन.एल. कम्पाउन्ड, होशंगाबाद रोड, भोपाल।
2. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) प्रथम का कार्यालय, म.प्र. ग्वालियर।
3. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/आई.टी.ए., को इस आशय के साथ प्रेषित है कि मुख्यालय के परिपत्र संख्या 183-स्टाफ हकदारी (नियम)/ए.आर./01.2022 दिनांक 01.11.2022 के द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18/03/2015-Estt. (Pay-I) 18/03/2015 दिनांक 03.10.2022 के बिन्दु 5(ii) के अनुपालन में यह वेतन निर्धारण आदेश जारी होने के 03 माह के भीतर यदि वेतन निर्धारण में कोई विसंगति है तो इस अनुभाग को तत्काल सूचित करें।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-14
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/IS Wing को Internet/Intranet/Website संबंधी कार्य हेतु।
6. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11,12,13 एवं 14
7. श्री नरेश आहूजा, स.ले.प.अ./प्रशासन-14 को Internet/Intranet संबंधी कार्य हेतु।
8. श्री सुनील कुमार झा, व.ले.प.अ, 01/6828
9. गार्ड फाइल।

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-12
(पेंशन एवं वेतन निर्धारण सेल)